संख्या-4/1788/18-4-2014-22(एसाइड)/10

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर,2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु एसाइड योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोयडा हेतु सेंटेज चार्जेज की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ के पत्र संख्या-310/869/एसाइड-एस0एल0ई0पी0सी0 अनुपालन/2013-14, दिनांक 17.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-189/18-4-2014-2014-22(एसाइड)/10टी0सी0, दिनांक 20.03.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड)) योजना के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5780.00 लाख के सापेक्ष यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोयडा के सेंटेज चार्जेज की धनराशि रू0 13.52 लाख (रूपये तेरह लाख बावन हजार मात्र) निम्नलिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त योजना हेतु इस धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश तथा शासन द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में दिये गये निर्देशानुसार जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण्) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6-प्रस्तर 1-में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-आयोजनागत-05-निर्यात सम्बंधी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रिया कलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड) योजना-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-646/दस-2014, दिनांक 25-11-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

¼ अरविन्द कुमार सिंह ½

विशेष सचिव

संख्या-1788(1)/18-4-2014-22(एसाइड)/10 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेंट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कानपुर ।
7- कोषाधिकारी कानपुर नगर।
8- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
11-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
12- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ ।
13-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0 विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ ।
14- गार्ड फाइल।

भवदीय

¼ एच0एम0 झा ½

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in